

फर्द अहकाम
बिरदीचरु बनाम नारायण

न्यायालय

संख्या 78/16

विशेष विवरण

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
16/3/17	क फर 31 व श्रौच उतिकी गण 14 ता 16 की तलबी हेतु सम्मत तलबाना Reg. A.D. के पेश करे। तलबाना पेश होने पर नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 13-4-17 को पेश हो।
13/4/17	प्रसाइडिंग ऑफीसर वॉरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>12/5/17</u> को पेश हो।
12/5/17	प्रसाइडिंग ऑफीसर वॉरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>23/5/17</u> को पेश हो।
23/5/17	पत्रावली आज न्याय अपेक्षे द्वारा केंद्र में पेश हुई। वारी गण वाक्यरूप तामिल/सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली का आयोपान्त अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय का उत्तरवादी गण को पाद की विषयवस्तु एवं अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अवगत करते हेतु तलबाने पेश करने हेतु जारी की दिनांक 7/4/16 को आदेशित किया गया था जिनकी पालना आदिनांक तक नहीं हुई। जबकि न्यायालय आदेश की पालना सात दिवस के भीतर नोटिज/तलबाने पेश करने होते हैं। आज भी पक्षकारों को न्यायालय द्वारा केंद्र में की सूचना नोटिस व अधिवक्ता गण को Reg. A.D. पोर्टल से सूचना जरिये SMS भिन्नवाही गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमू (जयपुर)

फर्द अहकाम
बिरजीन्द बनाम नापू लाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 78/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>वी किशु बाबजूद तागिल/सूचना के वादी, परिवारी गण क्रेम कोरे में अनुष रहे है। वादी वाद का संचालक होगा है। लेकिन प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होगा है कि शर्णी/वादी का प्रथम दृष्टया प्रयोजन मात्र अन्तरिम अल्बार्डि विषेद्याना लेना था। जल्दि पत्रावली न्यायालय (फास्ट ट्रेक) में दामर है जिलकी भेद अपेक्षा है कि उनको का त्वरित निव्ताण हो लेकिन आदिनांत तक नोटिसेज/तलबाने पेश नही कला प्राकृति न्याय का सामान्य सिद्धान्त ही विफल हो जायेगा। प्रकरण दिनांत 23-03-12 को दामर होकर आदिनांत तक भी तलबी में जैकार होना संभ्री है।</p> <p>अतः आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता की अनुपालना में पत्रावली को थारित किया जाता है। पत्रावली जैजल शुगाट होकर दर्ज नम्बर से क्रम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौगूं (जयपुर)